

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNA

EASTERN ZONE

KOLKATA

M.A. No. 18 of 2024EZ

IN

O.A. NO. 155 OF 2022/EZ

IN THE MATTER OF

Talab Bachao Abhiyan

....APPLICANT

VERSUS

Government of Bihar & ORS.

.... RESPONDENTS

INDEX

Sl no.	Particulars	Page no.
1.	Counter Affidavit with ID proof of the deponent.	1-12
2.	Annexure-1: A copy of the order dated 18.04.2023 constituting the committee.	13-
3.	Annexure-2: A copy of the minutes of first meeting dated 28.04.2023.	14-20
4.	Annexure-3: A copy of the minutes of second meeting dated 22.11.2023.	21-24
5.	Anexure-4: A copy of analysis report.	25-30
6.	Annexure-5: A copy of the Direction.	31-34

1



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA
KOLKATA**

M.A. NO. 18 OF 2024/EZ

IN

O.A. NO. 155 OF 2022/EZ

IN THE MATTER OF

TALAB BACHAO ABHIYANAPPLICANT

VERSUS

GOVERNMENT OF BIHAR & ORS. RESPONDENTS

**COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE
BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
PATNA.**

I, S. Chandrasekar, aged about 46 years, Son S. Subramani, residing at No. 03, Aranya Awas, Shaheed Peer Ali Khan Marg, Patna, do hereby solemnly affirm and state as follows:



Sl No. 4590 Date 31/7/24

S. Chandrasekar
who is identified by Advocate...
solemnly affirmed and declared contents of
this affidavit apart from this nothing else
atamp/Court fees etc. 1/5 3 & Sub rule 4 n
& rule of N.A. 1986 before me

1. That I am posted as Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna, and as such I am well aware of the facts and circumstances of the present matter. I am competent and duly authorized to swear the present affidavit.

2. That the instant application has been filed by the applicant alleging therein that three ponds known as 'Ganga Sagar', 'Dighi' and 'Harai' in Darbhanga, Bihar, are being encroached upon; dumping of garbage and sewage is taking place in these three ponds.

3. That the O.A. No. 155 of 2024/EZ was disposed of vide order dated 23.03.2023, by which the Hon'ble tribunal was pleased to issue the following directions:-

A. We constitute a Committee under the Chairmanship of Additional Chief Secretary, Department of Environment, Government of Bihar. The other Members of the Committee shall be; the Principal Secretary, Urban Development Housing Department, Government



*of Bihar, Municipal Commissioner, Darbhanga
Municipal Corporation, Member Secretary,
Bihar State Pollution Control Board, Divisional
Railway Manager, Samastipur Division, and
the District Magistrate, Darbhanga.*

- B. The above Committee shall address itself to the observations and the recommendations made in the Inspection Report of the Committee constituted by the Tribunal and take expeditious remedial measures.*
- C. The Committee shall also take steps to remove the encroachments expeditiously.*
- D. The three ponds, namely, Dighi, Harai and Ganga Sagar, in Darbhanga District of Bihar, shall be restored to their pristine glory and their embankments shall be strengthened by planting grass and natural shrubs and trees to provide an eco-friendly landscape which can be used by the public for recreation.*
- E. The Committee shall also ensure that drains leading into the three Ponds/Water Bodies are*



completely diverted from the said water bodies.

Effective sewage management shall be put in place to ensure that no municipal waste is allowed to flow into the three ponds.

F. The Committee shall hold its first meeting within fifteen days hereof and thereafter hold meetings regularly in every four months for appraisal of the remedial actions, proposed and taken from time to time.

G. The Bihar State Pollution Control Board shall take water samples six monthly from the three ponds and if the water samples are found to be higher than the prescribed standard parameters, appropriate directions shall be issued to the concerned authorities for taking effective remedial actions forthwith.

H. All illegal constructions leading into to three ponds and encroachments shall be removed within three months and those constructions which are governed by interim order of the Hon'ble High Court, Patna, shall be subject to



any final order which may be passed by the Hon'ble High Court."

4. That in light of the aforesaid directions, the committee as directed by the Hon'ble Tribunal was constituted vide order No. 04, dated 18.04.2023, issued under the signature of Special Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar. The Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar, was made the Chairman of the Committee and the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar; District Magistrate, Darbhanga; Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board; Divisional Railway Manager, Samastipur Division; & Municipal Commissioner, Darbhanga Municipal Corporation, Darbhanga were the members of the said committee.

A copy of the order dated 18.04.2023 of constitution of



committee is annexed and marked as Annexure-1.

5. That the first meeting of the committee was convened on 28.04.2023, in the said meeting the representative of DRM, samastipur, informed that there are two sources of discharge of waste water from Darbhanga Railway Station, (i) Railway Coaching Washing Pit and (ii) Waste water from platform and circulation area. He further informed that the waste water generated from the Railway Coach Washing Pit is stored in a pit and then treated in Water Treatment Plant (WTP)/Sewage Treatment Plant (STP) and the treated water is reused in railway coach washing. However, the waste water generated from the platform and circulation area is discharged in the Harahi and Digdhi lake and the Railways are taking steps to connect the waste water generated from the platform and circulation area through drain to the WTP/STP.

With respect to encroachment it was informed that the Hon'ble Patna High Court has stayed the demolition of



7

encroachments made around the three ponds in question. It was decided that marking of encroachments made around the three ponds may be done afresh and steps shall be taken to prevent new encroachments.

With respect to solid waste dumped, it was informed by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation Darbhanga, informed that the solid waste dumped around the three ponds has been lifted and awareness campaign is being undertaken to encourage people living around the pond to not throw solid waste around the three ponds.

Further, steps to reduce the pollution of the ponds, construction of STP for treatment of water following through drains, action plan for rejuvenation of ponds and re-demarcation of ponds were also deliberated and decisions were taken in the first meeting of the committee.

A copy of the minutes of the first meeting dated 28.04.2023 is annexed and marked as Annexure-2.



6. That the second meeting of the committee was convened on 22.11.2023 and review of the decisions taken in the first meeting was undertaken.

On point of encroachment it was informed that encroachment in and around Harahi pond has been removed completely and w.r.t encroachments made in and around the Dighi and Gangasagar could not be taken in light of the stay order passed by the Hon'ble Patna High Court and action is being taken on encroachments which are not covered by the order of the Hon'ble Patna High Court.

The representative of railway informed that the waste water going into harahi pond has been stopped and the waste water is being now treated and STP is being constructed for treatment of waste water which is being discharged in Digdhi Pond.

Further, it was decided that the work to be done by the different authorities/departments shall be completed in financial year 2023-2024 and to start the construction work of STP immediately.



A copy of the minutes of meeting dated 22.11.2023 is annexed and marked as Annexure-3.

7. That in light of directions contained in Para 20 (G) of the order dated 23.03.2023, the State Board is regularly carrying the waster sample analysis of the water from the said three pond and the sampling are being done on monthly basis. In the said water sample analysis it was observed that the water samples were beyond prescribed standards for Biological Oxygen demand (BOD) and Fecal Coliform (FC).

A copy of the water analysis report is annexed and marked as Annexure-4.

8. That the State Board based on the findings of the analysis report issued a statutory direction in exercise of the powers under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, to the District



Magistrate, Darbhanga, The Municipal Commissioner, Darbhanga Municipal Corporation and to the Divisional Railway manager, Samastipur, vide its Memo No. 2591, dated 07.12.2023, by which the said authorities were directed to completely divert the drains which are falling in to the said ponds; ensure that no solid or liquid waste enter into the three ponds; submit a timeline for setting up STP; to ensure in-situ treatment.

A copy of the Direction dated 07.12.2023 is annexed and marked as Annexure-5.

9. That from the aforesaid facts it is humbly submitted that the State Board and the state authorities are taking steps to comply with the directions of the Hon'ble Tribunal and is working towards to restore the three ponds to their pristine glory.



10. That I have read the contents of the compliance affidavit and understood the same and the annexures are true copies of its respective originals.

I Identify the Deponent signature/Lf who has signed in my presence


DEPONENT
(S. CHANDRASEKAR)

VERIFICATION

Verified at Patna on 2nd day of July, 2024, that the averments made in the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and information derived from records of the matter.




DEPONENT
(S. CHANDRASEKAR)

12

भारत सरकार
Government of India

एस. चंद्रशेखर
S. Chandrasekar
जन्म तिथि / DOB : 26/06/1977
पुरुष / Male

4931 2735 4598

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विनिर्देशन प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज: एस. सुब्रमनी, 450, Address: S/O: S. Subramani, 450,
तीरुवेल्लोगम, असीरियार नगर, साँ Thiruvellagam, Asiriyar Nagar, Behind Saw
मील के पीछे, कुल्लंपलायम, Mill, Kullampalayam, Kullampalayam,
कल्लंपलायम, एरोदे, Erode, Gobichettipalayam, Tamil Nadu,
गोबिचेट्टीपालयम, तमिल नाडु, 638476

4931 2735 4598

1800 300 1847 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

आदेश

पटना-15, दिनांक 18/04/2023

संख्या-पर्या/जल०/परि०-69/2021.04...../प०व०ज०प०, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकाता में दायर ओ०ए० संख्या-155/2022/EZ, तालाब बचाव अभियान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-23.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में दरभंगा जिलान्तर्गत तीन तालाबों यथा- गंगासागर, दिग्धी एवं हराही में दरभंगा नगर निगम के नालों से शहर का गंदा पानी गिरने, ठोस कचरा डंपिंग करने एवं तालाब के आस-पास अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

- | | |
|---|---------|
| (i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना- | अध्यक्ष |
| (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना- | सदस्य |
| (iii) जिला पदाधिकारी, दरभंगा- | सदस्य |
| (iv) सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना- | सदस्य |
| (v) प्रभंडलीय रेलवे प्रबंधक, समस्तीपुर डिवीजन- | सदस्य |
| (vi) नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा- | सदस्य |

उक्त समिति माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। इस क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति की अनुशांसा की समीक्षा करते हुए विषय वस्तु से संबंधित सभी बिन्दुओं पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी। इस संबंध में तत्काल बैठक आहूत करते हुए प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक चार माह में नियमित बैठक करेगी।

(कैवल तनुजा)
सरकार के विशेष सचिव



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इस्टर्न जोन, कोलकाता द्वारा ओ.ए. नं.-155/2022 में दिनांक-23.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक-28.04.2023 को अपराह्न 03:30 बजे हाईब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित बैठक का वृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इस्टर्न जोन, कोलकाता द्वारा ओ.ए. नं.-155/2022 (EZ) में दिनांक-23.03.2023 को पारित आदेश में दरभंगा के तीन तालाबों के कायाकल्प (Rejuvenation) हेतु प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति की हाईब्रिड मोड में बैठक दिनांक-28.04.2023, (शुक्रवार) को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित की गयी। प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अन्य बैठक में व्यस्त रहने के कारण बैठक का संचालन सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा किया गया। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1. सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना;
2. जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के नामित प्रतिनिधि श्री राजेश झा 'राजा' अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा;
3. प्रमंडलीय रेल प्रबंधक, समस्तीपुर के प्रतिनिधि श्री रंजत कुमार, सहायक यांत्रिकी अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, दरभंगा;
4. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा;
5. सदस्य-सचिव, बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं उनके प्रतिनिधि डॉ. सरोज वारिक; आर्द्रभूमि विशेषज्ञ;
6. पर्षद विश्लेषक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना।

सर्वप्रथम, सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों एवं सहभागियों का बैठक में स्वागत किया गया। सदस्य-सचिव ने अपने प्रस्तुतीकरण में समिति का गठन, इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही यह भी बताया कि समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में एक बार होनी है। माननीय अधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों की जानकारी बिन्दुवार दी गयी।

सदस्य-सचिव द्वारा जानकारी दी गयी कि दरभंगा शहर के बीच में हराही, दिग्घी एवं गंगा सागर तालाब अवस्थित है, जो दरभंगा रेलवे स्टेशन के समीप है। हराही एवं दिग्घी तालाब में दरभंगा रेलवे स्टेशन से निकला अपशिष्ट-जल प्रवाहित होता है। इसे रोकने के लिए रेलवे प्रबंधन द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं। इस संबंध में विस्तार से बताने का अनुरोध किया गया।



रेलवे प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से गंदा पानी निकलने के दो प्रमुख स्रोत हैं। प्रथम-रेलवे कोच वाशिंग पीट एरिया जहां रेलवे बोगियों की साफ-सफाई की जाती है। इससे निकला गंदा जल को एक पीट में इकट्ठा किया जाता है, जिसे Water Treatment Plant (WTP)/Sewage Treatment Plant (STP) में उपचारित कर इसे पुनः बोगियों की सफाई में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार गंदा जल को पुनः चक्रित किया जाता है एवं इसका पानी तालाब में नहीं जाता है।

दूसरा-रेलवे प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेशन एरिया से निकला दूषित जल हराही एवं दिग्घी तालाब में जाता है। रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेशन एरिया से निकला गंदा जल को एक ड्रेन के माध्यम से WTP/ STP के साथ अगले दो माह में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार रेलवे का 90 प्रतिशत दूषित बहिस्राव को उपचारित कर इसका पुनः उपयोग कर लिया जायेगा।

सदस्य-सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में एक समयबद्ध कार्य योजना (Time Bound Action Plan) तैयार कर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद को उपलब्ध करायी जाय। साथ WTP/STP देखने एवं उपचारित जल की गुणवत्ता की जानने की इच्छा व्यक्त की। जिसे रेलवे प्रबंधन द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया।

सदस्य-सचिव, बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, पटना द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये:-

1. आज की प्रथम बैठक में बेसलाईन डाटा प्राप्त किया जा सकता है।
2. अगली बैठकों में इंक्रिमेन्टल प्रगति का आकलन किया जा सकता है। आगे की बैठकों में इंक्रिमेन्टल प्रगति को लेखाबद्ध किया जा सकता है, जिसे किसी भी समय माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश के आलोक में आदेश के कंडिका-6 में उल्लेखित अनुशंसाओं का बिन्दुवार समीक्षा की गयी।

कंडिका-6, उप-कंडिका (a) Encroachments around all the three ponds should be removed.

दरभंगा शहर के हराही, दिग्घी एवं गंगा सागर तालाबों के चारों ओर हुए अवैध अतिक्रमण (Encroachment) की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि 2014 में दरभंगा अंचल कार्यालय द्वारा तालाब के चारों ओर हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। अतिक्रमण हटाने के क्रम में कुछ लोगों द्वारा माननीय



पटना उच्च न्यायालय से स्थगन (Stay) आदेश प्राप्त कर लिया गया। उस समय से अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य रुका हुआ है।

सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पथर्षद्, पटना द्वारा कहा गया कि तीन तालाबों के चारों ओर किये गये अतिक्रमण को पुनः चिन्हित किया जाये, जिससे बेसलाईन डाटा हो एवं नये अतिक्रमण पर रोक लगाया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अध्ययन कर उसके अनुरूप अतिक्रमण कार्यों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त किये गये अतिक्रमण को छोड़कर अन्य अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की जाये।

कंडिका-6, उप-कंडिका (b) Solid waste dumped in the drains and adjoining areas should be removed with immediate effect and the ULB (DMC) shall ensure that no solid waste is dumped in these drains.


तालाबों के चारों ओर जमा किये गये एवं तालाब में पाये जा रहे ठोस कचरा के बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा जानकारी दी गयी कि तालाब में चारों ओर सभी ठोस कचरा जमाव स्थलों से कचरा हटा लिया गया है और आस-पास निवास कर रहे जनता को तालाब के आस-पास ठोस कचरा नहीं फेंकने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें माइकिंग एवं अन्य साधनों से प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। वाल-पेंटिंग इत्यादि द्वारा भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। तालाबों के आस-पास नियमित रूप से कचरों का उठाव किया जा रहा है।

सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पथर्षद्, पटना द्वारा सुझाव दिया गया कि तालाब में अथवा उसके आस-पास कचरा नहीं फेंकने के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाये और उसके बाद कचरा फेंकने वालों पर अर्थदण्ड लगाया जाये। जगह-जगह पर सूचना पट्ट (Signage) लगाया जाये। इन सभी कार्यों को अभिलेखित (Documented) किया जाये। जिसे माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

कंडिका-6, उप-कंडिका (c) Flow of water through drains should be made hindrance free.

यह ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित है, जिसकी चर्चा की जा चुकी है।

कंडिका-6, उप-कंडिका (d) Following short term measures may be taken up for the conservation of these of ponds:- (i) In-situ remediation of ponds should be adopted by having aeration facility using microorganisms to degrade the pollutants and to increase the dissolved oxygen.



17

इस खंड में तालाबों के जल को शुद्ध करने के विकल्पों के बारे में अनुशंसा की गयी है। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी "Indicative Guidelines for Restoration of Water Bodies" के अनुरूप तालाबों का जीर्णोद्धार करने की अनुशंसा की गयी।

सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यद, पटना द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि दरभंगा नगर निगम के पदाधिकारियों और पर्यद के वैज्ञानिकों की एक बैठक करायी जाये, जिसमें तालाबों में झरना लगाने, बोटिंग कराने, जलीय-जीव-जन्तुओं एवं पेंड-पौधे के लगाये जाने पर विचारोपरान्त एक एक्शन प्लान तैयार किया जाय। इसमें मत्स्य विभाग (Fisheries Department) के तकनीकी पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि झरना लगाये जाने के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है तथा बोटिंग की तैयारी किया जा रहा है।

इस दौरान विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यों से संबंधित अभिलेखों का अध्ययन कर इसके क्रियान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया:-

1. Encroachment के कितने मामले थे। इसमें कितने लोग हाई कोर्ट गये थे। कितने को Stay मिला था। Stay का ground क्या था।
2. Stay में सरकार की ओर से पैरवी आवश्यक है। Supreme Court का निर्णय है कि यदि छः माह में समीक्षा नहीं किया गया है तो वह Null हो जाता है। कुछ में खास मामले हो सकते हैं। बाकी में नहीं।
3. High Court का Stay किस प्रकार का है। इस पर जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

कंडिका-6 उप-कंडिका (d) (ii) Using aquatic plants, aquatic animals and other biological techniques for In-site remediation of the ponds can be undertaken.

सदस्य-सचिव द्वारा सूचित किया गया कि In-Situ Remediation हेतु Plants अथवा animals का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः plants अथवा animals के चयन में सावधानियां बरतनी होगी। इसलिए Fish एवं Botany के Expert को भी बैठक में बुलाया जाना चाहिए।

कंडिका-6, उप-कंडिका (d) (iii) Management of drainages especially from the nearby sources (from residential and commercial establishments around the ponds) may be ensured.



Page 4 of 7



तालाब में मिल रहे नालों एवं किनारे बसे घरों द्वारा तालाब में मिलाये जा रहे नालों की पहचान करनी होगी। इसका फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. के साथ मैपिंग कराना होगा तदोपरान्त आगे की कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सकता है।

कंडिका-6, उप-कंडिका (e) The waste water flowing through the drains should be treated through adequate Sewage Treatment Plant (STP) of required capacity. Accordingly sewerage network and STP should be constructed to ensure proper treatment of sewage and restricting the waste water flow into ponds.

तीन तालाबों में मिलने वाले नालों के बहाव को माप कर अपेक्षित क्षमता वाले STP का निर्माण कराया जा सकता है। इसके साथ ड्रेनेज नेटवर्क का भी विकास करना होगा जिससे नालों के पानी को तालाब में जाने से रोका जा सकेगा। इसके लिए डी.पी.आर. तैयार कराया जा सकता है।


नगर आयुक्त, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि इस हेतु डी.पी.आर. तैयार कराया जा रहा है।

कंडिका-6, उप-कंडिका (f) An action plan should be developed for rejuvenation of these ponds as per "Indicative guidelines for restoration of water bodies" published by Central Pollution Control Board.

Pond के Rejuvenation हेतु एक Timeline Action Plan बनाना आवश्यक है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के "Indicative Guidelines for Restoration of Water Bodies" के अनुरूप हो। इस दिशा में एक बैठक दरभंगा नगर निगम के कार्यालय कक्ष में आयोजित किया जा सकता है। इसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों का मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है।

कंडिका-6, उप-कंडिका (g) Re-demarcation of ponds should be carried out by the Land Revenue Department, Govt. of Bihar to verify the encroachment status taking note of previous demarcation survey conducted during 2014.

Land Revenue Department द्वारा तालाबों का पुनः नापी कराकर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं इसे सन् 2014 में कराये गये सर्वेक्षण के डाटा से मिलान किया जा सकता है। इस प्रकार सन् 2014 के बाद किये गये अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पर अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि हराही, दिग्घी एवं गंगा सागर तालाबों का सर्वेक्षण पुनः कराया गया है एवं पुनः सर्वेक्षण कराकर तालाब का सीमा निर्धारण किया गया है। जो व्यक्ति अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किये गये हैं और न्यायालय द्वारा अतिक्रमण पर रोक लगाया गया है, उन्हें छोड़कर बाकी पर कार्रवाई की जायेगी।



कडिका-6, उप-कडिका (h) The East Central Railway, India Railway Samastipur Division, Samastipur shall ensure the proper management of sewage/ domestic waste water and solid waste, plastic waste generated from Darbhanga Railway Station.

बैठक के आरंभ में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किये जा रहे कार्यों का जिक्र किया गया है।
बैठक की कार्रवाई के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में तीन तालाब के चारों ओर अतिक्रमण (Encroachment) इसमें मिलने वाले नालों, रेलवे द्वारा किये जाने वाले कार्यों, एस.टी.पी. निर्माण से संबंधित कार्यों इत्यादि का बेसलाईन डाटा को संग्रहित किया जाय।

(कार्रवाई :- जिला प्रशासन, दरभंगा; दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर)

2. बेसलाईन डाटा के आलोक में Timeline Action Plan तैयार किया जाये। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की बैठक आहुत की जाये एवं Timeline Action Plan को अंतिम रूप प्रदान किया जाये। संबंधित विभाग अपना-अपना एक्शन प्लान तैयार करेंगे।

(कार्रवाई :- दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर)

3. प्रत्येक चार माह पर होने वाले बैठकों में Timeline Action Plan के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाये।


(कार्रवाई :- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के माध्यम से समिति द्वारा)

4. तीन तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्य करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, मत्स्य शोध संस्थान, कृषि वैज्ञानिक अथवा वनस्पति विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया जाये।

(कार्रवाई :- दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

5. नियमित रूप से ठोस अपशिष्टों का उठाव किया जाये एवं डोर टू डोर पृथककृत ठोस अपशिष्ट का उठाव कराया जाये एवं नियमानुकूल निपटान कराया जाय। जन-जागरूकता अभियान, माईनिंग, साइनेज इत्यादि नियमित रूप से कराया जाय।

(कार्रवाई :- दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)



6. Land Revenue Department द्वारा एक बार अतिक्रमण का पुनः सर्वेक्षण कराकर (नक्शा के साथ) अद्यतन स्थिति का आंकलन किया जाये।

(कार्रवाई :-जिला पदाधिकारी, दरभंगा)

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अतिक्रमण पर दिये गये Stay-order का अध्ययन कराया जाये एवं अवैध अतिक्रमण को हटाने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाई :-जिला पदाधिकारी, दरभंगा)


8. तीन तालाबों में मिलने वाले नालों का प्रवाह तालाब में नहीं होने दिया जाये। इसे एस.टी.पी. के माध्यम से उपचारित कर तालाबों में छोड़ा जाय क्योंकि वर्तमान में तालाब में जल का स्रोत नालों से आने वाले पानी ही है। इसके बगैर तालाब के सूखने की संभावना है।

(कार्रवाई :-दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Limited)

9. पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किये जाने वाले कार्यों का Timeline Action Plan बना कर समिति के समक्ष अगली बैठक में रखा जाय।

(कार्रवाई :-पूर्व मध्य रेलवे,समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

 22/6/23

सदस्य-सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्रर्षद, पटना।



सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी प्रक्षेत्र (Eastern Zone), कोलकाता में दायर O.A. No. 155/2022 (EZ) में दिनांक-08.12.2022 को पारित आदेश द्वारा गठित संयुक्त समिति (Joint Committee) की दिनांक-22.11.2023 को आयोजित द्वितीय बैठक का वृत्त।

सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी प्रक्षेत्र (Eastern Zone), कोलकाता द्वारा O.A. No. 155/2022 (EZ) में दिनांक-08.12.2022 को पारित आदेश द्वारा गठित संयुक्त समिति (Joint Committee) की द्वितीय बैठक दिनांक-22.11.2023 को आयोजित किया गया। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाईन विडियो कॉन्फरेन्स के माध्यम से भाग लिया गया:-

1. सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना;
2. अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा;
3. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा;
4. श्री हृदय नारायण, DEnHM, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर, प्रतिनिधि, प्रमंडलीय रेल प्रबंधक, समस्तीपुर प्रमंडल, पूर्व-मध्य रेलवे, समस्तीपुर;
5. श्री विजय शंकर सिंह, सहायक अभियंता, दरभंगा रेलवे स्टेशन, पूर्व-मध्य रेलवे, दरभंगा।

सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कहा गया कि सभी माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित कराये। कार्रवाई आरंभ करते हुए सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना से अनुरोध किया गया कि प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समीक्षा आरंभ की जाये।

सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संयुक्त समिति के गठन की पृष्ठभूमि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी एवं प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों पर विन्दुवार समीक्षा आरंभ की गयी।

क्रम संख्या-1: अतिक्रमण के मुद्दे पर अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि हराही तालाब के अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है तथा दिग्घी एवं गंगासागर तालाब के अतिक्रमणकारियों पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के वाद संख्या-21009/2019 एवं 24683/2018 द्वारा पारित आदेश के आलोक में स्थगन आदेश प्राप्त अतिक्रमणकारियों को छोड़कर अन्य पर नियमानुकूल अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है एवं इस संबंध में एक पत्र भी भेजा गया है।

प्रमंडलीय रेल प्रबंधक, समस्तीपुर प्रमंडल, पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर के प्रतिनिधि श्री हृदय नारायण, DEnHM, समस्तीपुर प्रमंडल, पूर्व-मध्य रेलवे, समस्तीपुर द्वारा सूचित किया गया कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से हराही तालाब में जा रहे अनुपचारित मलजल (Untreated Sewage) नाले को बंद कर दिया गया है और इसे Water Recycling Plant (WRP) में ले जाया जा रहा है, जहाँ इसका शुद्धिकरण (Treatment) किया जाता है। दिग्घी तालाब में जा



(22)

Receipt No. 2387916/2023/O/O MEMBER SECRETARY-BSPCB (Computer No. 2387916)

रहे अनुपचारित मलजल के उपचार (Treatment) हेतु कार्य किया जा रहा है, जो फरवरी, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

सदस्य-सचिव द्वारा सूचित किया गया कि प्रथम बैठक में निदेश दिया गया था कि रेल परिसर से तालाबों में जा रहे अनुपचारित मलजल (Untreated Sewage) को तालाब में जाने से रोकने एवं उसका समुचित उपचार करने हेतु Sewage Treatment Plant (STP) निर्माण के लिए एक कार्य-योजना प्रदान करेंगे, परन्तु यह अभी तक अप्राप्त है। अध्यक्ष द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि 15 दिनों में एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार कर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को प्रदान करेंगे।

(अनुपालन:-प्रमंडल रेल प्रबंधक, समस्तीपुर प्रमंडल, पूर्व-मध्य रेलवे, समस्तीपुर)

क्रम संख्या-2: तीन तालाबों के जल को उपचारित करने हेतु एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करना-

नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि कार्य-योजना तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को उपलब्ध करा दी गयी है। समयबद्धता के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना से वार्ता कर पूरा कर लिया जायेगा।

निर्णय:-निदेश दिया गया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के साथ मिलकर समयबद्ध कार्य योजना को 15 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाये एवं कार्य-योजना के अनुसार समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाय।

(अनुपालन:-नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना)

सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का उल्लेख करते हुए सूचित किया गया है कि माननीय अधिकरण के निदेशानुसार सभी नालों को तीन तालाबों में जाने से रोका जाय तथा STP का निर्माण शीघ्र किया जाये।

इसके आलोक में नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि तीन तालाबों के पास STP निर्माण के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है, इसलिये वैकल्पिक स्थान हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से संपर्क किया गया है एवं उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग की गयी है।

निर्णय:-अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्राधिकार से शीघ्र सम्पर्क कर शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:-नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

क्रम संख्या-3: संयुक्त समिति की बैठक माननीय अधिकरण के निदेशानुसार प्रत्येक चार माह पर सुनिश्चित किया जाना।



निर्देश:-बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना को निर्देश दिया गया कि बैठक प्रत्येक चार माह में आयोजित करना है।

(अनुपालन :-बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना)

क्रम संख्या-4: तालाबों के पुनरुद्धार (Rejuvenation) के लिये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना, मत्स्य शोध संस्थान के वैज्ञानिक या वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ के साथ बैठक किया जाये एवं उनके report को प्रस्तुत किया जाना।

कार्रवाई: दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि विशेषज्ञों के साथ बैठक का आयोजन दिनांक-14.07.2023 को विडियो कॉन्फरेन्स के माध्यम से आयोजित किया गया है तथा बैठक में दिये गये सुझावों के अनुरूप Action Plan तैयार किया गया है।

(अनुपालन:- अनुपालित)

क्रम संख्या-5: Door-to-Door घरेलू ठोस अपशिष्ट का उठाव, नियमानुकूल निपटान एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

कार्रवाई: नगर आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि इस दिशा में कार्रवाई किया जा रहा है।

(अनुपालन: नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

क्रम संख्या-6: Land Revenue Department के जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा अतिक्रमणकारियों के संबंध में पूर्व की जानकारी को अद्यतन कर वर्तमान स्थिति अनुसार अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार किया जाना।

कार्रवाई:- अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि हराही तालाब से अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है एवं अन्य दो तालाबों के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत स्थगन आदेश प्राप्त अतिक्रमणकारियों को छोड़कर अन्य पर नियमानुकूल अतिक्रमणकारियों को खाली कराने की कार्रवाई जा रही है।

(अनुपालन:-जिला पदाधिकारी, दरभंगा)

सरकार के सचिव-सह-अध्यक्ष, संयुक्त समिति द्वारा दरभंगा नगर निगम, दरभंगा से पृच्छा की गयी कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के आलोक में क्या-क्या कार्रवाई की गयी है।

नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा इस संबंध में किये जा रहे कार्रवाई की जानकारी निम्नरूपेण दी गयी:-

1. तालाब के किनारे कचड़ा फेंकने को प्रतिबंधित किया गया है।
2. हराही तालाब से अतिक्रमणकारियों को हटा दिया गया है।
3. Sewage Treatment Plant के निर्माण के लिये DPR तैयार किया गया है, जिसकी अनुमानित राशि रूपये 8 (आठ) करोड़ है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि के खर्च की अनुमति के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया है। इस DPR पर Chief Engineer का Technical Approval प्राप्त किया जाना है एवं



24

Receipt No. 2387916/2023/O/O MEMBER SECRETARY-BSPCB (Computer No. 2387916)

जमीन की व्यवस्था हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से वार्ता चल रही है।

4. तालाबों के किनारों की घेराबंदी किया गया है।
5. तालाबों के किनारे जगह-जगह पर कूड़ादान (Dust Bin) रखा गया है।
6. ठोस अपशिष्ट का Door to Door संग्रहण कराया जा रहा है।
7. तालाब के किनारे बसे लोगों द्वारा कचड़ा तालाब में नहीं फेंकने हेतु विभिन्न माध्यमों से जन-जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। अब लोगों द्वारा तालाब में कचड़ा नहीं फेंका जाता है।

बैठक में अध्यक्ष द्वारा सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिये गये:-

1. सभी संबंधित विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाय।
2. रेलवे प्राधिकारों को निदेश दिया गया कि रेल परिसर से निकलने वाले प्रदूषित जल को रोका जाये एवं STP का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये। यदि रेलवे प्राधिकारों द्वारा नाला को कार्य-योजना के अनुरूप Divert कर STP/WRP ससमय नहीं बनाया जाता है तो उनपर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) लगाया जाय। इस हेतु वैधानिक निदेश दिया जाय।
3. जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना से अतिक्रमणकारियों द्वारा प्राप्त किये गये Stay Order के विरुद्ध आवेदन दिया जाये एवं वाद में पैरवी कर शीघ्र निपटान हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये।
4. STP का निर्माण के लिये स्थल की व्यवस्था कर (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा अथवा अन्य स्थल पर) अगले छः माह में कार्य प्रारंभ कराया जाये।
5. तीन तालाबों के किनारों पर पार्क एवं वाटिका विकसित किया जाये।



अन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न हुई।

6/11/23

(बन्दिना प्रेयषी)
सरकार के सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार।

25

ANNEXURE - 4

Bihar State Pollution Control Board, Patna
Water Sample Analysis Result

Parameters	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E) dated 15.09.2009 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water	Gangasagar Lake, Marwari College, Darbhanga, Dist- Darbhanga								Remarks
		71	288	568	695	891	1272	1609		
Reference No	--	71	288	568	695	891	1272	1609		
Date of Sampling	--	12-04-2023	11.05.2023	28-06-2023	13-07-2023	29-08-2023	17-10-2023	14-11-2023		
Temperature (A/W)	--	37/29	40/31	31/27	31/29	28/26	36/30	29/25		
Dissolved Oxygen (mg/L)	>4.0	11.8	12.6	7	5.8	6.8	5.9	6.2		
pH	6.5-8.5	7.85	8.01	8.16	8.32	7.86	7.56	7.6		
Electrical Conductivity	--	820	804	795	761	858	554	490		
BOD (mg/L)	< 3.0	7	7	2.9	2.9	4.8	2.9	2.5		
Nitrate as N (mg/L)	--	0.08	0.18	0.12	0.13	0.08	0.18	0.25		
TC (MPN/100 ml)	--	11000	54000	92000	54000	35000	28000	54000		
FC (MPN/100 ml)	Desirable / Permissible 500/2500	4900	35000	35000	35000	24000	22000	35000		
Turbidity (NTU)	--	21.4	25.3	9.15	14.9	17.3	30.2	36		
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	--	234	248	288	290	306	194	182		
Chloride (mg/L)	--	108.0	121.0	117.0	108.0	89.0	118.0	103		
COD (mg/L)	--	56	60	24	28	44	28	24		
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	--	224	232	310	278	316	210	192		
Sulphate (mg/L)	--	49.66	53.80	47.31	48.77	40.49	26.51	36.46		
Total dissolved Solids (mg/L)	--	524	514	500	484	530	348	308		
Total Suspended solids (mg/L)	--	18	22	6	12	12	24	32		

(Rajeev Kumar)
Asst. Scientific Officer

Arun Kumar
01/12/2023
Board Analyst
Bihar State Pollution Control Board
PATNA



26

Bihar State Pollution Control Board, Patna
Water Sample Analysis Result

Parameters	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water	Diggi Lake, Professor Colony Darbhanga, Dist-Darbhanga								Remarks
		70	287	567	694	890	1271	1608		
Reference No	-	70	287	567	694	890	1271	1608		
Date of Sampling	-	12-04-2023	11.05.2023	28-06-2023	13-07-2023	29-08-2023	17-10-2023	14-11-2023		
Temperature (A/W)	-	37/29	40/30	31/27	31/29	28/26	36/27	29/25		
Dissolved Oxygen (mg/L)	>4.0	7.3	12.5	6.4	6	5.4	6.1	8		
pH	6.5-8.5	7.73	8.03	8.11	8.1	7.9	7.9	7.08		
Electrical Conductivity	-	802	403	433	681	741	489	470		
BOD (mg/L)	<3.0	3	9	3	2.6	4.9	2.8	1.3		
Nitrate as N (mg/L)	-	1.09	0.56	0.46	0.47	1.04	0.40	0.51		
TC (MPN/100 ml)	-	160000	35000	92000	92000	54000	35000	92000		
FC (MPN/100 ml)	Desirable / Permissible 500/2500	92000	7000	35000	54000	24000	24000	54000		
Turbidity (NTU)	-	39	37.5	10.54	11.7	23.4	19.1	21		
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	-	218	200	172	274	292	182	176		
Chloride (mg/L)	-	101.0	105.0	114.0	104.0	69.0	107.0	97		
COD (mg/L)	-	28	64	32	24	44	28	8		
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	-	206	214	180	258	296	194	188		
Sulphate (mg/L)	-	32.55	38.48	41.61	43.73	40.94	32.10	30.42		
Total dissolved Solids (mg/L)	-	512	274	276	422	502	308	304		
Total Suspended solids (mg/L)	-	44	36	8	8	18	16	20		

(Rajeev Kumar)
Asst. Scientific Officer

Rajeev Kumar
01/12/2023
Rajeev Kumar
Board Analyst
Bihar State Pollution Control Board
PATNA



105

1-3

27


Bihar State Pollution Control Board, Patna
Water Sample Analysis Result

Parameters	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water	Harahi Lake, Near Railway Station, Darbhanga Dist-Darbhanga							Remarks
		69	286	566	693	889	1270	1607	
Reference No	--	12-04-2023	11.05.2023	28-06-2023	13-07-2023	29-08-2023	17-10-2023	14-11-2023	
Date of Sampling	--	36/29	40/30	31/27	30/28	28/26	36/27	29/25	
Temperature (A/W)	--	11.1	8.9	6.6	6.4	7.4	6.6	9.2	✓
Dissolved Oxygen (mg/L)	>4.0	7.65	8.23	8.23	8.17	7.82	8.06	7.09	✓
pH	6.5-8.5	686	713	690	588	663	476	470	✓
Electrical Conductivity	--	5	2	2.9	2.3	3	2.7	1.3	
BOD (mg/L)	<3.0	0.37	0.20	0.27	0.26	0.35	0.20	0.31	
Nitrate as N (mg/L)	--	92000	4900	92000	92000	35000	22000	54000	
TC (MPN/100 ml)	--	54000	3300	54000	54000	24000	17000	35000	
FC (MPN/100 ml)	Desirable / Permissible 500/2500	25.7	27	11.35	12.3	43.2	25.2	30.2	
Turbidity (NTU)	--	184	186	242	268	260	172	172	
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	--	79.0	90.0	90.0	88.0	62.0	100.0	98	
Chloride (mg/L)	--	44	16	28	24	36	24	16	
COD (mg/L)	--	174	178	238	244	268	186	180	
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	--	440	456	440	364	416	288	290	
Total dissolved Solids (mg/L)	--	22	24	10	10	36	20	26	
Total Suspended solids (mg/L)	--								

(Rajeev Kumar)
Asst. Scientific Officer

(Signature)
11/12/2023
(Arun Kumar)
Board Analyst
Bihar State Pollution Control Board

71C



Sample Analysis Result		Diggil Lake, Professor Colony Darbhanga, Dist-Darbhanga										Remarks	
Parameters	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water	1826	2192	2283	2533	72	466	13-12-2023	30-01-2024	13-02-2024	21-05-2024	05-04-2024	30-05-2024
Reference No	--	1826	2192	2283	2533	72	466	19/17	14/11	23/18	23/18	32/29	36/33
Date of Sampling	--	13-12-2023	30-01-2024	13-02-2024	21-05-2024	05-04-2024	30-05-2024	19/17	14/11	23/18	23/18	32/29	36/33
Temperature (A/W)	--	8.0	7.8	8.0	7.6	6.2	6.9	8.1	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9
Dissolved Oxygen (mg/L)	>4.0	7.11	7.59	7.10	7.02	7.62	6.82	8.1	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9
pH	6.5-8.5	5.0	4.5	1.8	2.8	2.7	1.9	8.1	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9
Electrical Conductivity	<3.0	0.17	0.41	0.46	0.38	BDL	BDL	7.11	7.59	7.10	7.02	7.62	6.82
BOD (mg/L)	--	92000	54000	92000	92000	160000	54000	0.17	0.41	0.46	0.38	BDL	BDL
Nitrate as N (mg/L)	--	54000	35000	54000	54000	92000	35000	92000	54000	54000	54000	92000	35000
TC (MPN/100 ml)	Desirable / Permissible 500/2500	35.6	30.1	32.6	21.7	42.3	14.2	54000	35000	54000	54000	92000	35000
FC (MPN/100 ml)	--	258.0	262.0	254.0	268.0	344.0	234.0	35.6	30.1	32.6	21.7	42.3	14.2
Turbidity (NTU)	--	110.0	113.0	111.0	103.0	84.0	95.0	258.0	262.0	254.0	268.0	344.0	234.0
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	--	40.0	48.0	20.0	24.0	36.0	32.0	110.0	113.0	111.0	103.0	84.0	95.0
Chloride (mg/L)	--	270.0	274.0	264.0	276.0	250.0	216.0	40.0	48.0	20.0	24.0	36.0	32.0
COD (mg/L)	--	448.0	478.0	454.0	442.0	502.0	422.0	270.0	274.0	264.0	276.0	250.0	216.0
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	--	32.0	28.0	30.0	18.0	40.0	32.0	448.0	478.0	454.0	442.0	502.0	422.0
Total Dissolved Solids (mg/L)	--							32.0	28.0	30.0	18.0	40.0	32.0
Total Suspended Solids (mg/L)	--												

(Signature)
 (Name) Board Analyst

Board Analyst
 Bihar State Pollution Control Board
 PATNA

* BDL - Below Deduction Limit

29

Sample Analysis Result									
Parameters	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water								
	Reference No	1825	2191	2282	2531	71	467	Remarks	
Date of Sampling	13-12-2023	30-01-2024	13-02-2024	21-03-2024	05.04.2024	30-05-2024			
Temperature (A/W)	17/15	13/11	22/17	22/17	31/27	35/31			
Dissolved Oxygen (mg/L)	9.2	9.1	11	8.8	6.7	14.1			
pH	7.95	7.82	7.74	7.72	7.98	8.19			
Electrical Conductivity	584	638	768	760	784	812			
BOD (mg/L)	5	4.3	2	2.2	2.6	1.9			
Nitrate as N (mg/L)	0.35	0.11	0.14	0.17	0.41	0.41			
TC (MPN/100 ml)	35000	35000	54000	54000	92000	54000			
FC (MPN/100 ml)	22000	28000	35000	35000	54000	35000			
Turbidity (NTU)	25.3	28.5	34.4	38.6	38.6	94.2			
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	212	232	278	288	240	284			
Chloride (mg/L)	103.0	108.0	102.0	101.0	71.0	92.0			
COD (mg/L)	44	40	24	24	36	36			
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	226	242	292	296	256	264			
Total Dissolved Solids (mg/L)	220	402	482	486	440	482			
Total Suspended solids (mg/L)	16	26	32	32	80	64			

(Signature)
02/10/2024
(Arun Kumar)
Board Analyst

Board Analyst
Bihar State Pollution Control Board
PATNA

* BDL - Below Deduction Limit

90

Sample Analysis Result

Parameters	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water	Gangasagar Lake, Marwari College, Darbhanga, Dist- Darbhanga										Remarks	
		1827	2193	2284	2532	73	465	13.12.2023	30.01.2024	13.02.2024	21.03.2024		05.04.2024
Reference No	--	1827	2193	2284	2532	73	465	13.12.2023	30.01.2024	13.02.2024	21.03.2024	05.04.2024	30-05-2024
Date of Sampling	--	19/17	14/11	23/18	23/18	32/29	36/33	19/17	14/11	23/18	23/18	32/29	36/33
Temperature (A/W)	--	6.2	6.6	6.5	6.9	5.8	6.9	6.2	6.6	6.5	6.9	5.8	6.9
Dissolved Oxygen (mg/L)	>4.0	8.42	7.94	7.88	7.8	7.99	7.91	8.42	7.94	7.88	7.8	7.99	7.91
pH	6.5-8.5	720	820	810	788	826	682	720	820	810	788	826	682
Electrical Conductivity	--	6	5.2	2.5	2.6	2.9	1.9	6	5.2	2.5	2.6	2.9	1.9
BOD (mg/L)	<3.0	0.33	0.17	0.19	0.22	0.20	BDL	0.33	0.17	0.19	0.22	0.20	BDL
Nitrate as N (mg/L)	--	92000	92000	54000	92000	160000	35000	92000	92000	54000	92000	160000	35000
TC (MPN/100 ml)	--	54000	54000	35000	54000	92000	24000	54000	54000	35000	54000	92000	24000
FC (MPN/100 ml)	Desirable / Permissible 500/2500	32.4	32.8	286	28.5	56.8	14.2	32.4	32.8	286	28.5	56.8	14.2
Turbidity (NTU)	--	122	119	110	108	91	95	122	119	110	108	91	95
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	--	52	52	28	28	40	32	52	52	28	28	40	32
Chloride (mg/L)	--	282	304	300	304	248	128	282	304	300	304	248	128
COD (mg/L)	--	460	516	504	494	500	436	460	516	504	494	500	436
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	--	30	30	24	22	40	36	30	30	24	22	40	36
Total Dissolved Solids (mg/L)	--												
Total Suspended Solids (mg/L)	--												

* BDL - Below Deduction Limit

02/07/2024
Arun Kumar
Board Analyst

Board Analyst
Bihar State Pollution Control Board
PATNA



REGISTERED
BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD
 Parivesh Bhawan

Phone-0612-2261250/2262265, Fax-0612-2261050

E-mail: msbspb-bih@gov.in, Website <http://bspb.bihar.gov.in>

Ref. No.:-

Patna, dated:-

From

Dr. D. K. Shukla,
Chairman.

NGT MATTER



O.A. No.- 155/2022/EZ

To

- (1) The District Magistrate, Darbhanga
- (2) The Municipal Commissioner, Darbhanga Municipal Corporation, Darbhanga;
- (3) The Divisional Rail Manager(DRM), Samastipur Division, Samastipur;


Direction under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

- 1) WHEREAS, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been enacted by Parliament of India for the preservation and control of water pollution and the maintaining or restoring of wholesomeness of water, for the establishment, with a view to carrying out the purposes aforesaid, of Boards for the prevention and control of water pollution.
- 2) WHEREAS, Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Bench, Kolkata in O.A. No. 155/2022/EZ in its order dated 23.03.2023 issued directions as follows:-
 - A. Constituted a Committee under the Chairmanship of the Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar.
 - B. The Committee shall take expeditious remedial measures on the observations and recommendation made in the inspection report.
 - C. The committee shall take steps to remove the encroachments expeditiously.
 - D. The three ponds namely Harai, Digghi and Ganga Sagar shall be restored to their pristine glory.
 - E. To ensure that drains leading into the three Ponds are completely diverted from the said water bodies and ensure no municipal waste is allowed to flow into the three ponds.
 - F. The Bihar State Pollution Control Board shall take water samples six monthly from the three ponds and if the water samples are found to be higher than the prescribed standard parameters, appropriate directions shall be



issued to the concerned authorities for taking effective remedial actions forthwith.

- 3) **WHEREAS**, the Bihar State Pollution Control Board is regularly taking water samples from all the three Ponds namely Harahi, Digghi and Ganga Sagar on monthly basis and Analysis Report (Annexure – 1, 2 & 3) reveals that:-
- i. **BOD (Standard- <3.0 mg/l)** was observed high (05 mg/l) only in the month of April, 2023 in the Harai Pond; observed high 09.0 and 4.9 mg/l in the months of May and August, 2023 respectively in the Dighi Pond and observed high 7.0, 7.0 and 4.8 mg/l in the months of April, May and August, 2023 since April 2023.
 - ii. **Fecal Coliform (FC) (Standard- Desirable- 500 / Permissible- 2500 MPN/100ml)** (MPN- Most Probable Number): was observed in the range of 3300 to 54000 MPN/100ml in the Harai Pond; 7000 to 92000 MPN/100 ml in Digghi Pond and in the range of 4900 to 35000 MPN/100 ml in Ganga Sagar Pond.
 - iii. Continuous high values of FC in all three ponds under observations shows that the sewage water is still going to these three Ponds. It is not in consistence of the Hon'ble NGT order.
- 4) The Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in its order dated 22.11.2018 in O.A. No. 353/2016 (M.A.No. 360/2017) with O.A. No. 412/2017 (M.A. No. 1321/2017 & 1322/2017) in the matter of Bhuvnesh Singh Katoch Vs MoEF&CC with Dharpal Malhotra Vs State of HP & Ors. Has clarified that
"Apart from prosecution, the statutory authorities under the Environment (Protection) Act, 1986; the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 must, in exercise of their incidental powers, prescribed scale of compensation to be collected from the polluters on the "Polluter Pays" principle. Such scale which may be laid down at various levels, having regard to the local conditions or as per directions in the hierarchy of the authorities."
- 5) **WHEREAS**, the undersigned is empowered to issue direction under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 to issue any direction to any person/ officer or authority. The direction may include the power to direct (a) the closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process or (b) the stoppage or regulation of supply of electricity or any other service.
- Therefore, in exercise of the powers under Section 33A of the Water Act, 1974,
 Directs you to:-



- i. Ensure that drains leading into the three Ponds are completely diverted from the said water bodies;
- ii. Ensure no municipal liquid and solid waste is allowed to discharge or flow into the three ponds under consideration;
- iii. Submit a timeline proposal, by the end of December, 2023, for setting up of a Sewage Treatment Plant (STP) in which all the drains, flowing into these three ponds, are joined in a common drain which leads to the STP and treated water, meeting the norms, shall be allowed to flow in these ponds, to maintain level of water in the Ponds.
- iv. Ensure In-situ treatment of water of these ponds by physical, biological or other means, as per the Guidelines of Central Pollution Control Board/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change/ Ministry of Jal Shakti or advised by the expert members.
- v. Ensure sewage drains from encroachment and commercial establishments around the Ponds shall not flow into the Ponds.
- vi. Provide list of illegal encroachers around the Ponds whose un-treated sewage are flowing into the Ponds. It should include those who have obtained stay order against from Hon'ble Patna High Court, Patna along with the date of filing of case and date of the order imposing stay on the removal of encroachments.

You are, hereby, directed to take necessary action immediately for ensuring compliance of the aforesaid Directions and submit action taken report to this office within 15 days from the date of issuance of this direction, failing which, the Bihar State Board Pollution Control Board will be constrained to take further legal action under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Sd./-
(D.K. Shukla)
Chairman

Memo No.:

Patna, Date:

Copy to: The Secretary-cum-Chairman of the committee constituted under the Hon'ble NGT (EZ) order dated 23.03.2023 in O.A. No. 155/2022(EZ), Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar for information.

Sd./-
(D.K. Shukla)
Chairman



34

Memo No.: 2581

Patna, Date: 27-12-23

Copy to: The Regional Officer, Patna/ Legal Section, HQ for information and necessary action. The Regional Officer, Patna is directed to inspect the unit after 15 days and submit the compliance report of this Direction.

D.K. Shukla
27.12.23
(D.K. Shukla)
Chairman
✱

